

2 pages

North Eastern Railway



1
32/2017

Office of the
General Manager (P)
Gorakhpur

E.P. No. 22-02
S. No. 32/2017
No. E/538/2/Pt.-I/IV

Dated 08.03.2017

All PHODs
All DRMs
All Sr. DPOs
All CWMs
All Extra Units
All Personnel Officers
N.E. Railway.

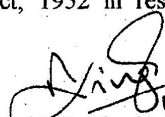
Sub : Extending the benefit of provisions of EPF&MP Act 1952 to daily wagers & outsourced labourers employee on contract basis.

Ref : (i) Railway Board's letter No. 2015/E(LL)/AT/EPF/2 dated 1.3.2017.
(ii) This office even number letter dated 28.2.2017.

Please refer this office letter dated 28.2.2017 where in it was requested for coverage of unenrolled contract employees of Indian Railways under the "Employees Enrollment campaign-2017" launched by EPFC under EPF&MP Act 1952. The Railway Board vide letter dated 1.3.2017 has further advised to take necessary action on letter of Regional Employees Provident Fund Commissioner, Gorakhpur (copy enclosed) wherein a case of M/s. Khagol Loco Labours Co-operative Society Ltd. has engaged more than 300 employees and provisions of EPFO & others security is not being facilitated to them. A letter dated 28.2.2017 has already been circulated to all concerned for taking necessary action in regard to contract/outsourced employees in their establishment, which is further re-iterated.

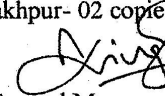
Therefore, it is requested to take necessary action in the reference to Railway Board's above referred letter and comply the EPF & MP Act, 1952 in respect of employees engaged by or through contractors.

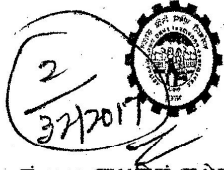
DA : As above.


(A.K. Singh)
Dy. CPO/NG
for General Manager (P)

Copy for information and necessary action to:-

1. General Secretary/N.E.Railway/ Employees Union/Gorakhpur- 02 copies.
2. General Secretary/Pramotee Officers Association/N.E.Railway/Gorakhpur- 02 copies.
3. General Secretary/RPF Association/N.E.Railway/Gorakhpur- 02 copies.
4. General Secretary/SC/ST & OBC Association/N.E.Railway/Gorakhpur- 02 copies


for General Manager (P)



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन / EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार / Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, /SUB-REGIONAL OFFICE
पो-सेक्टर कैम्प, सिविल लाइन्स, गोरखपुर- 273009

P.O.-Labour Camp, Civil Lines, Gorakhpur-273009
दूरभाष : 0551-2336126, फैक्स : 0551-2203736, ई-मेल : sro.gorakhpur@epfindia.gov.in

SPEED POST/ E-MAIL
अनुस्मारक

सं: 9204 / क.भ.नि.सं./उ.क्षे.का./गो./अनुपालन/रेलवे

दिनांक: 07.02.2017

गाम से
श्री राजीव मिश्र
I.R.S.

सेवा में,
महाप्रबंधक*
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर (उ.प्र.)

विषय: दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत भविष्य निधि एवं अन्य योजनाओं का लाभ देने के संबंध में।

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्र संख्या 12395/ क.भ.नि.सं./उ.क्षे.का./गो./अनुपालन/रेलवे, दिनांक: 30.12.2016
2. महामंत्री, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का पत्र दिनांक: 09.01.2017

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 30.12.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में उचित कार्यवाही करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 व उसके अंतर्गत रचित विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप पत्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था तथा इस हेतु सुलभ संदर्भ के लिए निदेशक प्रतिष्ठान (LL) रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.10.2015 एवं कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के अर्थशासकीय पत्र दिनांक 11.08.2015 की प्रतियाँ भी संलग्न की गयी थी। परंतु खेदजनक है कि एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी प्रकरण में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि श्री विनोद कुमार राय, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 09.01.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा यह सूचित किया गया है कि ट्रेनों में हाउस किपिंग/क्लीनिंग एवं बेड रोल सहायक के रूप में मेसर्स खगौल लोको लेबर्स को आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से 300 से अधिक कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनको उपरोक्त अधिनियम एवं योजनाओं के अंतर्गत देय भविष्य निधि तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उपरोक्त कान्ट्रैक्टर के साथ साथ NER, गोरखपुर के अधीन कार्यरत समस्त दैनिक, contractual, outsourcing कर्मचारियों (सीधे अथवा सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त) के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत रचित विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 30.12.2016 (प्रति संलग्न) के द्वारा **Employees Enrolment Campaign 2017** योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत 01.04.2009 से 31.12.2016 के मध्य कार्यरत किसी भी कर्मचारी/worker (वर्तमान में जीवित) की सदस्यता घोषित कर विशेष छूट का लाभ उठाया जा सकता है जिसमें कर्मचारी अंशदान (यदि काटा न गया हो), प्रशासनिक प्रभार, क्षतिपूर्ति (मात्र रुपये 01 प्रति वर्ष के दर से लागू) इत्यादि की छूट है। इस हेतु निर्धारित घोषणा प्रपत्र (प्रति संलग्न) में कर्मचारी/worker एवं सदस्यता की घोषणा कर वेब लिंक <http://cams.epfoservices.com/epfo> के माध्यम से online upload करने के उपरांत प्रिंटेड PDF प्रपत्र को इस कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अतः विषयगत मामले में भी इस विशेष योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह विशेष योजना केवल सीमित अवधि 01.01.2017 से 31.03.2017 तक के लिए ही उपलब्ध है।

उपरोक्त कार्य में यदि कोई असुविधा हो तो किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

कृपया कृत कार्यवाही से 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्त

(वी. वी. वी. सिंह)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
गोरखपुर

प्रतिलिपि:-

- वेयरमैन, रेलवे बोर्ड, रूम नंबर 256-A, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली
- अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (UP&BR)
[नाम से :- डॉ. वी. पी. सिंह, Addl. CPFC]
जोनल कार्यालय, निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर
- अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
[नाम से :- श्री गौतम दीक्षित, Addl. CPFC]
जोनल कार्यालय, निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर
- क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम
[नाम से :- श्री मारुति भोई, RPFC-I]
क्षेत्रीय कार्यालय, निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर
- श्री अनुपम कुमार, प्रवर्तन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचनार्थ प्रेषित।

(वी. वी. वी. सिंह)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
गोरखपुर